

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.24(1)न्याय/2014

जयपुर, दिनांक 27.4.18

:: आज्ञा ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विधि रचनाकार के पद पर नियुक्ति की अभिशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार विधि रचनाकार के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचनाएं:-

- एफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.16(2)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/03/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.6(6)एफ.डी./रूल्स/05/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.16(5)एफ.डी./रूल्स/98/ दिनांक 13.03.2006
- एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/06/ दिनांक 13.03.2006

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाएं:-

- प.7(2)कार्मिक/ए-11/2005 दिनांक 20.01.2006
- प.7(3)कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006

S. No.	Merit No.	Roll No.	Category	Name (Mr./Smt./Miss)	Father's Name (Shri)	Birth Date
1	1	226098	GE	NIKUNJ DIXIT	MANOJ KUMAR DIXIT	10.07.1984
2	2	225860	GE,WE	RISHIKA SHEKHAR	CHANDRA SHEKHAR JOSHI	13.05.1986
3	3	225018	GE,WE	SANYOGITA	SANTLAL SHARMA	23.12.1981
4	4	225391	BC	NEMICHAND	RATAN LAL	15.05.1984
5	5	225964	SC	ANIL KUMAR DAMOR	MADAN LAL	04.08.1990
6	7	225643	BC, LD	YOGESH KUMAR KARHANA	RAM LAL KARHANA	03.01.1973

उक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधधीन होगी:-

- नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है। अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य प्रशासनिक कारणवश यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- अभ्यर्थीगण विधि रचनाकार के पद का कार्यभार ग्रहण करते समय दहेज नहीं लेने/देने का परिचय/घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- अभ्यर्थीगण विधि रचनाकार के पद का कार्यभार पदस्थापन आदेश प्राप्ति से 15 दिवस में ग्रहण करना होगा, उक्त अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आज्ञा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
- इनकी वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम में रहेगी।
- यह नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधधीन होगी।

27-04-18

7. अभ्यर्थीगण विधि रचनाकार के पद का कार्यभार ग्रहण करते समय धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का वचनबंध प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।
8. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(I)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 (Level-11) के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रू. 26500/- दिया जायेगा।
9. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
10. कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

उक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जा रहे हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

Angur 27-04-18

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
5. विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित विभाग/कार्मिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

Angur 27-04-18

संयुक्त शासन सचिव